भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †2345

दिनांक 09 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

स्वामित्व योजना

†2345 डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्रीमती मेनका संजय गांधी:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पूरे देश में गांवों में सम्पत्ति कार्ड देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें राज्य-वार कितने गांवों को सम्मिलित किया गया है और संस्वीकृत राशि कितनी है;

(ग) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या स्वामित्व योजना को सभी राज्य क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार के पास स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में मापी गई कुल भूमि का डाटा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): जी हां। सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभागों, राज्य के राजस्व विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के सीमांकन द्वारा एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम '**स्वामित्व**' शुरू की है। इस स्कीम का पायलट चरण वर्ष 2020-21 के दौरान आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है। 2021-2025 से इस योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा और अंततः पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश के सभी गांवों को कवर किया जाएगा। इस स्कीम के तहत, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को दो घटकों: वृहद पैमाने पर मैपिंग (एलएसएम) और सतत परिचालन रेफरेंस स्टेशन (कॉर्स) की स्थापना के लिए निधि प्रदान की गई है। राज्यों को सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) और राज्य परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना के लिए भी निधि प्रदान की गई है। इस स्कीम के तहत मंजूर निधि, कवर किए गए गांवों और वितरित संपत्ति कार्ड का राज्यवार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(च) समाधान और 'हक विलेख' के लिए भारत में ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण कई दशक पहले पूरा हो चुका था किन्तु, कई राज्यों में ग्रामीण "आबादी" की भूमि का सर्वेक्षण / मैपिंग नहीं की गई थी। स्वामित्व स्कीम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति होल्डिंग्स के स्थाई रिकॉर्ड के सृजन की परिकल्पना की गई है जहां हाई रिज़ॉल्यूशन और सटीक इमेज के आधार पर उन आबादी क्षेत्रों के मानचित्र तैयार हो सकेंगे जहां पहले से रिकार्ड मौजूद नहीं है।

*****

<u>अनुबंध</u>

'स्वामित्व स्कीम' के संबंध में दिनांक 09.03.2021 को लोक सभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2345 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 5-3-2021 की स्थिति के अनुसार मंजूर की गई निधि, शामिल किए गए गांवों और वितरित संपत्ति कार्ड का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं	**राज्य/ सरकारी निकाय**	**राशि (रूपए में)**	**शामिल किए गए गांवों की संख्या**	**वितरित किए गए कुल संपत्ति कार्ड**	**घटक**
1	हरियाणा	21,61,270	315	62,458	आईईसी और एसपीएमयू के लिए
2	कर्नाटक	7,75,000	2	121	
3	मध्य प्रदेश	47,68,750	51	3,132	
4	उत्तर प्रदेश	1,44,75,000	1,578	2,09,845	
5	उत्तराखण्ड	15,10,000	386	15,151	
6	महाराष्ट्र	-	101	14,000	
7	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	25,20,00,000			हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में 210 कोर्स की स्थापना,
8	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	14,55,00,000			हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के गांवों में वृहद् पैमाने पर मैपिंग
कुल		**42,11,90,020**	**2,433**	**3,04,707**	

*****